मु0न0:– 01/2019 उनवानः– सीताराम बनाम रामप्रसाद वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:–01/2019 रजू दिनांकः– 04.01.2019

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

सीताराम पुत्र गोपी जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र गोपी मीना
2. विश्राम पुत्र चिम्मू मीना
3. हरि पुत्र गोपी मीना
4. राजेश पुत्र रामप्रसाद मीना
   समस्त जातियान मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम
5. तहसीलदार टोडाभीम।
6. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा टोडाभीम।
7. सहकारी भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
8. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट।
9. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायल

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायलान न0 7

निर्णय दिनांकः–09.02.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम एदलपुर की आराजीयात ख0न0 190/0.14, 191/0.28, 194/0.04, 197/0.01, 199/0.45, 343/0.29, 344/0.15, 347/0.29, 348/0.48, 349/0.56, 350/0.65, 351/0.04, 352/0.49, 353/0.37, 354/0.23, 360/0.09, 363/0.10, 388/0.41, 437/0.23, 689/806/0.17, 690/0.32, 693/0.28, कुल किता 22 कुल रकवा 6.07 है0, सायल 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 615/0.01, 616/1.05 कुल किता 2 कुल रकवा 1.06 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान व गैरसायलान ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु गैरसायलान, सायल के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की तथा बिना विधिक बटवारे के भूमि ... की रहन–व्यय करने पर आमदा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:47 IST
Reason: SelfAttested

बॉका दिनांक 02.01.2019 को सायल अपने हिस्से की भूमि पर बोई हुई सरसो फसल की देखरेख कर रहा था कि गैरसायल न0 1 ता 4 मौके पर आये और सायल ने कहा हम तेरे हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व्यय करेंगे सायल ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने और अपनी हटधर्मिता पर अडिग है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई पेश करना आवश्यक हुआ है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

अतः प्रार्थना पत्र सायल बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल के हिस्से की आराजीयात को रहन व्यय नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 1 ता 6 तथा 8, 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 7 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे नही है और नाही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल न0 7 को अपूर्तनीय क्षति होगी और अपने ऋण की वसूली से हमेशा—हमेशा के लिए वंचित हो जावेगे। गैरसायल न0 7 ने जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया कि सायल द्वारा दिनांक 31.03.2023 को गैरसायल न0 7 से 2,00,000/— अक्षरे दो लाख रूपये अक्षरे उद्योग हेतु ऋण लिया था जिसका सायल द्वारा समय—समय पर निर्धारित किश्तो का भुगतान नही किया गया। इसलिये दिनांक 31.03.2016 को 580712 रूपये अवधिपार हो गये। इस प्रकार गैरसायल न0 7 द्वारा बार—बार तकादा किये जाने पर भी सायल द्वारा गैरसायल न0 7 को भुगतान नही किये जाने पर गैरसायल न0 7 बैक द्वारा सायल के खिलाफ 3 बार नीलामी की कार्यवाही की गई तब भी वसूली नही होने के पर अन्तर्गत धारा 103 सोसायटीज एक्ट सायल के खिलाफ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जिसमे बाद सुनवाई माननीय जिला कलक्टर द्वारा मु0न0 12/18 उनवान भूमि विकास बैक बनाम सीताराम मे दिनांक 21.03.2018 को सायल द्वारा गैरसायल न0 7 के यहा रहनशुदा विवादित आराजी रकवा 1.06 है0 हिस्सा 1/3 व रकवा 6.07 है0 हिस्सा 1/6 को गैरसायल न0 7 के नाम अन्तरण करने का निर्णय पारित किया गया। वास्तव मे सायल द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की पालना ना हो इसलिये दावा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। अतः सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये यह दावा पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा क्लिनहैण्ड से पेश नही किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल 1/3, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, सायलान व गैरसायलान ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु गैरसायलान, सायल के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की तथा बिना विधिक बटवारे के भूमि वर्णित उक्त आराजीयात को रहन—व्यय करने पर आमदा है। गैरसायल न0 7 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे गलत व झूठे तथ्य पेश किये है। इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.01.2019 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान न0 7 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल ने समस्त मेटेरियल फेक्ट को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। सायल द्वारा दिनांक 31.03.2023 को गैरसायल से 2,00,000/— अक्षरे दो लाख रूपये अक्षरे उद्योग हेतु ऋण लिया, जिसका सायल द्वारा समय—समय पर निर्धारित किश्तो का भुगतान नही किया गया। जो दिनांक 31.03.2016 को 580712 रूपये अवधिपार हो गये। गैरसायल न0 7 द्वारा बार—बार तकादा किये जाने पर भी सायल द्वारा भुगतान नही किये जाने पर बैक द्वारा सायल के खिलाफ 3 बार नीलामी की कार्यवाही की गई तब भी वसूली नही होने पर अन्तर्गत धारा 103 सोसायटीज एक्ट सायल के खिलाफ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जिसमे माननीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा मु0न0 12/18 उनवान भूमि विकास बैक बनाम सीताराम मे दिनांक 21.03.2018 को सायल द्वारा गैरसायल न0 7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

यहा रहनशुदा विवादित आराजी रकवा 1.06 है0 हिस्सा 1/3 व रकवा 6.07 है0 हिस्सा 1/6 को गैरसायल न0 7 के नाम अन्तरण करने का निर्णय पारित किया गया। वास्तव मे सायल द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की पालना ना हो इसलिये दावा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। अतः सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये यह दावा पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा क्लिनहैण्ड से पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे नही है और नाही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल न0 7 को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम एदलपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 98 मे कुल किता 22 कुल रकवा 6.07 है0 मे सायल हरि, सीताराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 राहिन भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम मुर्तहीन रिकार्ड दर्ज है। तथा प्रतिवादी न0 1 रामप्रसाद पुत्र गोपी हिस्सा 1/6, प्रतिवादी न0 2 विश्राम पुत्र चिम्मू हिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 4 राजेश पुत्र रामप्रसाद, रामगिलासी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा 1/4 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 95 मे कुल किता 2 कुल रकवा 1.06 है0 मे हरि, सीतारा पि0 गोपी हिस्सा ब. 2/3 राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम सा.देह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 7 द्वारा प्रस्तुत पत्रावली मे शामिल माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली द्वारा मु0न0 12/2018 उनवान हिण्डौन भूमि विकास बैक शाखा हिण्डौन बनाम सीताराम पुत्र गोपीराम मे पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लि0 शाखा हिण्डौन के पक्ष मे अंतरित किये जाने का आदेश दिया हुआ है, और सायल द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के पश्चात ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली मे पेश किया है जिससे प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होता हो। अतः सायल का वर्णित आराजीयात से रिकार्डेड कोई संबध नही होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही है।
2. **सुविधा का संतुलन:—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित नही है।
3. **अपूर्तनीय क्षति:—** वर्णित आराजीयात ग्राम ऐदलपुर मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति नही होकर गैरसायल न0 7 को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी